न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

...नी संख्या 29/12

तारीख रजू– 19/07/2012

...ताराम 2– राधेश्याम 3– केदार नाथ पुत्रान स्व0 श्री प्रभूदयाल पाराशर जातियान पारासर ब्राहमण ...वासीयान शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा।

---प्रार्थीगण

बनाम

...न्दूलाल पुत्र गोविन्दराम पाराशर जाति पाराशर ब्राहमण निवासी मुकाम 3, सत्यपथ,नीमच केन्ट जिला ...न्दसौर (मध्यप्रदेश)।
...ाम पंचायत शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच।

----अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 30/07/15

...र्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत शिवाड द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा संख्या 884 ... 05/06/99 पटटा विलेख पत्रावली संख्या 122 वर्ष 1995–96 ग्राम शिवाड मे नोहरी/भू–खण्ड 24 ... फिट यानी 912 वर्गफुट का नजराना 5/–रू0 वर्गगज लेकर अप्रार्थी संख्या 1 को जारी किया गया ...विरूद्व प्रस्तुत की है तथा जारी किये उक्त पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की है।
...निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई व ...ा मातहत की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय उपस्थित हुए परन्तु आगामी पेशी पर ...थत नही होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश किये गये। अप्रार्थी संख्या ...फ अभिभाषक उपस्थित हुए तथा पटटा संबंधित पत्रावली प्राप्त होने पर दोनो पक्षो की बहस सुनी

...विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि ...ण के पिता ने विवादित नोहरी/भू–खण्ड मे पटटा जारी करने व पुख्ता दीवार कराने की इजाजत ...अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 09/11/1994 को प्रार्थनापत्र दिया व 22/03/1995 को रसीद संख्या ...द्वारा नजराना राशि 220/–रू0 व दरवाजा फीस 11/–रू0 कुल 231/–रू0 जमा कराकर रसीद ...ी परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने पुख्ता मकान बनाने की स्वीकृति/पटटा नही दिया एंव विवादित नोहरी ...निर्माण स्वीकृति एंव पटटा दिलवाने बाबत एक प्रार्थनापत्र अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को ...04/09/95 को प्रस्तुत किया जिसमे फर्जी तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से ...सके 5/–रू0 वर्गगज नजराना फीस देकर विवादित नोहरी/भूखण्ड का पटटा अपने पक्ष मे दिनांक .../99 को जारी करवा लिया। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि जिसमे ...की मोका रिपोर्ट भी मांगी गई थी जिसमे मेम्बरान ने 01/04/95 को विवादित भू–खण्ड का मोका ...व नोहरी प्रार्थीगण के पिता की होना बताया था व नोहरी के नक्शे के मुताबिक पुख्ता निर्माण की ...दिये जाने की सिफराशि दी थी इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत ने इस मोका रिपोर्ट को अनदेखी ...र्थी संख्या 1 के पक्ष मे विवादित भूमि का पटटा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील ...ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि नोहरी मे प्रार्थीगण के ...कब्जा है अथवा नही इस बाबत दिनांक 22/04/96 को रामस्वरूप शर्मा, लक्ष्मण नाई व शिवपाल ...निवासी शिवाड के बयान लिये थे जिसमे उन्होने काफी अर्से से प्रार्थीगण के पिता व उनके ...के व्यक्तियो को ही इस नोहरी मे रहना बताया है इस तथ्य की अनदेखी कर ग्राम पंचायत ने ...संख्या 1 को विवादित भूमि का पटटा जारी कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने ...त्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि 30/10/95 की आदेशिका जिसमे ...ण के पिता द्वारा ग्राम पंचायत नजराना राशि वगै0 जमा करवायी थी की रसीद की प्रति का उस

...जिला कलेक्टर
...ाई माधोपुर

निग.संख्या 29/12 सीताराम/नाथूलाल

शिका मे हवाला था को` अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से साज करके निकाल दिया। ग्राम पंचायत इस बदयान्ति के कारण भी अप्रार्थी संख्या 1 को जारी किया गया पटटा निरस्तनीय है। विद्वान वकील गण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि ग्राम पंचायत की शिका मे तीन व्यक्तियो के नाम पटटा बनाने का आदेश हुआ है जबकि पटटा एक के नाम ही बनाया है देश मे राशि लेने का कोई उल्लेख नही है व बाद मे राशि लेने की आदेशिका बढायी गई है इस ग्राम पंचायत द्वारा आदेशिका के परिपेक्ष्य मे पटटा जारी नही करने के कारण भी विवादित भूमि का पटटा निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस र्क दिया कि दिनांक 15/03/95 की आदेशिका जिसमे प्रार्थीगण के पिता के प्रार्थनापत्र पर मोका मेम्बरान से मागी गई है पर नूरबाई के हस्ताक्षर है व अप्रार्थी संख्या 1 के प्रार्थनापत्र पर दिनांक 2/98 को मोका नूरबाई द्वारा ही देख गया है जिसमे प्रार्थीगण के पिता द्वारा जमा कराई गई राशि ई उल्लेख नही किया है व आदेशिका हटादी है। ग्रामवासियो ने प्रार्थीगण के पिता की शिकायत की वे इस नोहरी मे अवैद्व रहते है लेकिन खुली होने से प्रभुदयाल जी ही रहते है इस बात से भी ण के पिता का कब्जा जाहिर होता है। अतः विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा होने, ायत मे विवादित भूमि का पटटा जारी करने हेतु नजराना राशि जमा करा देने व ग्राम पंचायत की का हटा देने से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से साज करके नियम विरूद्व जारी करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी किया गया पटटा निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने वकील प्रार्थीगण की बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि संख्या 1 को पटटा जारी करने की सहमति हमारी हो यह वकील प्रार्थीगण ने नही बताया है। वकील अप्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी नाथूलाल बाहर नीमच चले गये थे ओर वह हरी को किराये पर प्रार्थीगण के पिता को दे गये थे जिससे इस नोहरी की देखभाल भी होती रहे र्थीगण के पिता ने गुपचुप प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत मे पुख्ता निर्माण/पटटा जारी करने का पेश ग्राम पंचायत ने इस नोहरी को अप्रार्थी संख्या 1 व तीन चार भाईयो की होना मानते हुए प्रार्थीगण की अर्जी खारिज करदी। पुनः नोहरी के कब्जे की जॉच की गई जिसमे नोहरी को नाथूलाल की ना है। विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि जब प्रार्थीगण के पिता की नजराना ना करने को ग्राम पंचायत ने गलत मानकर 28/07/97 के आदेश से खारिज कर दिया तो /प्रार्थीगण के पिता ने इस आदेश की अपील/निगरानी पेश नही की है। विद्वान वकील अप्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 के भाई भी बाहर रहते है प्रत्येक को 1/2 हिस्से का व व नाथूलाल को 1/4 हिस्से के पटटा दिया है जो सही है। मेरी दृष्टि मे गवाहान की साक्ष्य नही है। भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। ग्राम द्वारा वाद जॉच नियमानुसार कार्यवाही की है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा यथावत रखा जावें।

टल मे वकील प्रार्थीगण मे बहस मे तर्क दिया कि पुख्ता निर्माण/पटटा जारी करने का भाईयो ने प्रस्तुत नही किया है फिर भी ग्राम पंचायत ने भाईयो के नाम पुख्ता निर्माण/पटटा की स्वीकृति प्रदान की है जो नियमो के विपरीत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पटटा निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा निगरानीधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली न करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 04/11/94 को प्रार्थीगण के पिता नोहरी/भू–खण्ड मे पुख्ता मकान बनाने की स्वीकृति/पटटा जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश 231/:रू0 नजराना फीस 22/03/95 को जमा करवायी है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा एक पत्ति नोटिस जारी करने व भूमि का नक्शा बनाने के आदेश दिनांक 07/12/94 को दिये है। 5 को आपत्तिकर्ता की मॉ नूरी बाई ग्राम पंचायत मे उपस्थित हुई है ओर आपत्ति पेश की है। 5 को कोरम के समक्ष प्रार्थीगण के पिता प्रभुदयाल पारासर ने नोहरी को अपनी होना बताया है

जिला कलेक्टर
माधोपुर

निग.संख्या 29/12 सीताराम/नाथूलाल

त्तिकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 नाथूलाल ने बताया कि हम नीमच चले गये थे तब मेरे भाई गोविन्दराम व
त नोहरी की देखभाल करने हेतु प्रभुदयाल को सभलाया था व यह कहा था कि वापस आयेगे जब
र देना। इस बाबत कोरम के समक्ष सबूत भी पेश किये थे। इसी दोरान अप्रार्थी संख्या 1 ने भी
04/09/95 को ग्राम पंचायत के समक्ष एक प्रार्थनापत्र पूर्वजो के खाम मकानात को पुख्ता निर्माण
कृति/पटटा जारी करने बाबत पेश किया जिस पर प्रभुदयाल पारासर ने आपत्ति पेश की।
/96 को आपत्तिकर्ता/उज्रदार ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित नही हुआ व आपत्तिकर्ता ने कोई
धी प्रमाण,दस्तावेज,पटटा आदि पेश नही किये। ग्राम पंचायत ने वादी का हक शामलाती मानते हुए
की उज्रदारी इस भूमि पर कोई अधिकार नही होने से खारिज करदी व संबंधित भूमि का नक्शा
खींचकर पेश करने हेतु सचिव को निर्देश दिये। ग्राम पंचायत ने दिनांक 28/07/97 को प्रस्ताव
6 से प्रार्थीगण के पिता द्वारा नोहरी के पुख्ता निर्माण/पटटा जारी करने हेतु जो नजराना राशि
क0 22/03/95 को जमा करवाये थे वो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपत्ति पेश करने के कारण कोरम
म्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयो की है
नजराना राशि वापस करने के आदेश दिये है व प्रार्थीगण के पिता का पुख्ता निर्माण की
/पटटा प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र खारिज किया है जिसकी प्रार्थीगण/प्रार्थीगण के पिता ने ग्राम
के उक्त आदेश की कोई अपील/निगरानी पेश नही की है। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 को
र्माण स्वीकृति/पटटा जारी करने से पूर्व मोका रिपोर्ट ग्राम पंचायत मे दिनांक 02/02/98 को
है। मोका रिपोर्ट मे उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के इस मकान पर हक शामलाती माना है
ाल पारासर का कोई अधिकार नही माना है व शामलाती व्यक्तियो को पुख्ता निर्माण की स्वीकृति
ारिश की है जिस पर ग्राम पंचायत मे प्रस्ताव संख्या 23 निर्णय दिनांक 06/07/98 से कोरम से
य लिया है कि इस मकान मे 1/2 हिस्सा जगदीश प्रसाद पुत्र शिवदयाल पारासर व बाकी 1/2
से 1/2 हिस्सा नाथूलाल पुत्र गोविन्दराम पाराशर व बाकी 1/2 मे से 1/2 मोहन व घनश्याम
निवास 1/2 हरिप्रसाद पुत्र अम्बालाल पारासर के नाम पटटा जारी करने की स्वीकृति सर्वसम्मति
है व इस कोरम के निर्णय पर 04/06/99 को नजराना जमा करने के आदेश दिये है व
/99 को अप्रार्थी संख्या 1 को पटटा जारी किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को
टटा जारी करने से पूर्व आपत्तिकर्ता को सुना है उसकी आपत्ति को खारिज किया है जिसकी
र्ता ने कोई अपील/निगरानी पेश नही की है। अप्रार्थी संख्या 1 को पुख्ता निर्माण की
/पटटा जारी करने के प्रार्थनापत्र पर पंचायत द्वारा विधिवत आपत्ति नोटिस जारी किया है।
भूमि का नक्शा बनवाया है मोका रिपोर्ट मगवायी है तथा कोरम मे सर्वसम्मति से स्वत्व का
कर नियमानुसार नजराना राशि जमा कर अप्रार्थी संख्या 1 को उसके हिस्से की भूमि का पुख्ता
की इजाजत/पटटा जारी किया गया है व पंचायत राज नियमो की पूर्ण पालना की है जिसमे किसी
अनियमितता व अवैधानिकता नही झलकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी
के पक्ष मे जारी पटटा दिनांक 05/06/99 यथावत रखा जाता है।

र्णय आज दिनांक 30/07/2015 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर